भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2777 का उत्तर

आईआरसीटीसी में भ्रष्टाचार की शिकायतें

2777. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आईआरसीटीसी में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) आईआरसीटीसी द्वारा आवंटित मोबाइल खान-पान संकुलों के विरुद्ध संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;
(ग) संकुल-ए श्रेणी खानपान वाली ट्रेनों में 80 प्रतिशत से अधिक ठेके केवल एक ही परिवार को दिए जाने के क्या कारण हैं;
(घ) आईआरसीटीसी द्वारा बड़े ठेकेदारों को नियमों के विपरीत ठेके आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि उनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं;
(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(च) क्या रेल प्रशासन द्वारा कैटरिंग ठेके आवंटित करते समय ठेकेदारों से केवल एक शपथ-पत्र की आवश्यकता होती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) ऐसे कुल कितने आवंटन सरकार के संज्ञान में आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): रेलगाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्यकर में सुधार लाने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने 2023 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 24 के तहत अनुदेश जारी किए थे। इसमें

किसी रेलगाड़ी के स्थान पर रेलगाड़ियों के क्लस्टरों के लिए ठेके जारी करने की परिकल्पना की गई है। अवसंरचना के विकास और भोजन तैयार करने और इससे संबंधित ऑनबोर्ड सेवाओं के लिए जवाबदेही तय करने पर बल दिया गया है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मौजूदा नीतिगत दिशा-निर्देशों के तहत रेलगाड़ियों के इन क्लस्टरों की निविदा का कार्य शुरू किया है। निविदा दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम बोलीदाताओं को निविदाएं प्रदान की गई हैं। आईआरसीटीसी द्वारा किसी भी ठेकेदार को किसी भी अनैतिक व्यवहार या अनुचित लाभ को रोकने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली और अनुपालन उपाय लागू किए गए हैं।

आईआरसीटीसी द्वारा रेलगाड़ियों के क्लस्टरों के लिए निविदाओं में कुल 24 बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिनमें से 20 संस्थाओं को आईआरसीटीसी द्वारा अनुबंध प्रदान किए गए हैं। निविदा शर्तों के विपरीत आईआरसीटीसी द्वारा कोई अनुबंध नहीं दिया गया। विभिन्न सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) का विवरण आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित है। आज तक किसी भी सफल बोलीदाता को क्लस्टर ए के 80% ठेके नहीं मिले हैं।

इस संबंध में, रेलवे द्वारा विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, खानपान संघों, व्यक्तियों आदि से अभ्यावेदन, सुझाव, परिवाद, शिकायतों आदि की प्राप्ति एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। इन मामलों की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है और तदनुसार, अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2024-25 में, आईआरसीटीसी को प्राप्त शिकायतों पर 13.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, रेलमदद पोर्टल पर शिकायतों की निरंतर निगरानी की जाती है।

भारतीय रेल नेटवर्क पर प्रतिदिन औसतन 16.5 लाख यात्रियों को भोजन परोसा जाता है। भारतीय रेल का प्रयास रहता है कि यात्रियों को इतनी बड़ी मात्रा में भोजन की सुचारू और

निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। तदनुसार, यात्रियों को दी जाने वाली समग्र सेवाओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अपेक्षित उपाय मौजूद हैं।

****